न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31/2022 राजस्व अपील

1. जगदीश पुत्र बीलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व आदेश उपतहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम जगदीश प्रकरण संख्या 227/2021 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 09.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 98/2, 133/2 रकबा 0.07 है. भूमि पर अतिक्रमण मानकर बिना कोई जांच किये बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना अपीलान्ट को दिनांक 28.01.2022 को 30 दिन के सिविल कारावास व शास्ति से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमो के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित किया है जिसका प्रमाण यह है कि यदि आदेश अपीलान्ट के सामने पारित किया जाता तो या तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की जमानत ली जाती या फिर अपीलान्ट को जेल भेजा दिया जाता। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट ने ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 98/2, 133/2 रकबा 0.07 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। आज दिनांक को उक्त भूमि मौके पर खाली है एवं अपीलान्ट भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 28.01.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 98/2 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह व खसरा नम्बर 133/2 किस्म गैर मु. नदी सिवायचक रकबा 0.05 है. कुल रकबा 0.07 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्मी को अतिक्मित आराजी से बेदखल कर शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 98/2 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह व खसरा नम्बर 133/2 किस्म गैर मु. नदी सिवायचक रकबा 0.05 है. कुल रकबा 0.07 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 98/2 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह व खसरा नम्बर 133/2 किस्म गैर मु. नदी सिवायचक रकबा 0.05 है. कुल रकबा 0.07 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि आज दिनांक को मौके पर खाली होना एवं अपीलान्ट का भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 98/2 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह व खसरा नम्बर 133/2 किस्म गैर मु. नदी सिवायचक रकबा 0.05 है. कुल रकबा 0.07 है. पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि मौके पर खाली होना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति [illegible] कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय [illegible] प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख [illegible] शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ रिकॉर्ड रूम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:22:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official